

एक्सपोजर ड्राफ्ट - आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2024
Exposure draft – IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2024

1. आईआरडीएआई द्वारा की जा रही विनियमों की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और हितधारकों के लिए अनुपालन का भार कम करने के लिए भी, यह भी सुनिश्चित करते हुए कि पालिसीधारकों के हितों का लगातार संरक्षण किया जाए, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियमों की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। उक्त समिति ने इन विनियमों की जाँच की है तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद संशोधित विनियमों की सिफारिश की है।
2. उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, आईआरडीएआई उक्त विनियामक सैंडबाक्स विनियमों के निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधन जारी करता है तथा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सामान्य रूप से जनसाधारण से टिप्पणियों की अपेक्षा करता है।
3. उक्त विनियमों के संशोधन निम्नलिखित दृष्टिकोण पर आधारित हैं :
 - क. नियम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण को अपनाना।
 - ख. उक्त विनियमों में मूल्यों, संख्याओं, आदि का किसी अपरिवर्तनीय रूप में निर्धारण (हार्ड-कोडिंग) नहीं है।
 - ग. मास्टर परिपत्र में परिचालनगत विषय सम्मिलित किये जाएँगे।
 - घ. विनियम समस्त बीमा मूल्य शृंखला के अंतर्गत नवोन्मेष विचारों / नई संकल्पनाओं के समावेश को सुसाध्य बनाएँगे।
4. उपर्युक्त के आलोक में, मूल्य/संख्याएँ जो विनियमों का भाग थीं, जैसे न्यूनतम निवल मालियत (नेटवर्थ), शुल्क, पात्रता मानदंड, आवेदन फार्म, प्रयोग अवधि, अनुमति की समयावधि का विस्तार, आबंटित समय, आदि को मास्टर परिपत्र में अंतरित करने का प्रस्ताव है।
5. प्राप्त अनुभव एवं बाजार में नई प्रगति के आधार पर निम्नलिखित को उक्त विनियमों में नये परिवर्धनों के रूप में प्रस्ताव किया जाता है:
 - क. “सक्षम प्राधिकारी” की परिभाषा
 - ख. विवेकपूर्ण और वित्तीय स्थिति / स्थिरता संबंधी विषयों को संबद्ध करनेवाले क्षेत्रों, जैसे पूँजी, चलनिधि, निवेश, शोधन-क्षमता, आरक्षित निधीयन (रिज़र्विंग) तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय किये गये रूप में अन्य क्षेत्रों का विनियामक सैंडबाक्स के दायरे से अपवर्जन करना।
 - ग. विनियमों का उद्देश्य सुस्पष्ट रूप से बताना – “बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास और पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषण को सुसाध्य बनाना”
 - घ. अनुमति प्रदान करने के लिए शर्तों में शामिल करना – “भारत में बीमा क्षेत्र के लिए लाभदायक नवोन्मेषण को बढ़ावा देता है”
 - ङ. अंतर-विनियामक सैंडबाक्स प्रस्ताव के समावेश को सुसाध्य बनाना जिसमें “एक से अधिक वित्तीय क्षेत्रों से संबंध रखनेवाले विनियामक सैंडबाक्स आवेदनों पर कार्रवाई करने के विषय में प्रक्रिया और क्रियाविधियाँ” की अनुमति दी जाएगी।

6. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2024 का प्रारूप इसके साथ संलग्न है (अनुबंध-क)। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विनियमों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, संलग्न फार्मेट (अनुबंध-ख) में 25 नवंबर 2024 को अपराह्न 5:00 बजे अथवा उससे पहले anjaly.jolly@irdai.gov.in और randip@irdai.gov.in को अग्रेषित करें।

1. As part of the comprehensive review of Regulations being undertaken by the IRDAI, to enhance the ease of doing business and also reduce compliance burden for stakeholders while also ensuring that interests of policyholders continues to be protected, the IRDAI constituted an internal committee to review the IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations. The Committee examined these Regulations and after detailed deliberations recommended the revised regulations.
2. Based on the recommendation of the Committee, the IRDAI issues the following proposed amendments to the Regulatory Sandbox regulations and seeks comments from the public at large on the proposed amendments.
3. The amendment to the regulations are based on the following approach:
 - a. Adoption of principle based approach over rule based approach.
 - b. No hard-coding of values, numbers, etc in the regulations.
 - c. Operational issues to be covered in the master circular.
 - d. Regulations to facilitate introduction of innovative ideas/ new concepts across the insurance value chain
4. In light of the above, values/ numbers which were part of the regulations such as minimum networth, fees, eligibility criteria, application form, experiment period, extension of time period of permission, allocated time, etc are proposed to be shifted to the master circular.
5. Based on the experience gained and new developments in the market the following are proposed as new additions to the regulations:
 - a. Definition of “competent authority”
 - b. Excluding areas involving prudential and financial condition/ stability matters, such as capital, liquidity, investment, solvency, reserving and such other areas as decided by the Authority from time to time from the purview of Regulatory Sandbox.
 - c. Objective of regulations to explicitly state – “*facilitate innovation in the insurance sector while ensuring orderly development of the insurance sector and protection of interests of the policyholders*”
 - d. Conditions for grant of permission to include “*promotes innovation beneficial to insurance sector in India*”
 - e. To facilitate introduction of Inter-Regulatory Sandbox proposal wherein “*the process and procedures in dealing with regulatory sandbox applications that cuts across more than one financial sector*” will be permitted
6. The draft Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2024 is annexed herewith (Annexure-A). All

the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations in the attached format (Annexure- B) on or before 5:00 PM on 25th November, 2024 to anjaly.jolly@irdai.gov.in and randip@irdai.gov.in